COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-II, JAMUI
Session Trial case no.-17AA/2015
Sono P.S.-43/2015
Registration No.- 102/2020

State through Khalil Miyan **Informant**
vs.
Raju Yadav **Accused**

Present-Sudhir Sinha, D.A.S.J. II

08.06.2026 वाद के एक मात्र अभि0 1. राजु यादव की हाजरी है। वाद पुकारा गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से एक भी साक्षी का परिक्षण नहीं कराया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपो की सम्पुष्टि में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को द्र.प्र.स. की धारा 232 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाय।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से साक्ष्य न कराने का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचक खलील मियां के द्वारा दिनांक 11.05.2014 को दिये गये फर्दब्यान के आधार पर सोर्नो थाना कांड संख्या 78/2014 दिनांक 11.05.2014 के तहत पंजीकृत किया गया। फर्दब्यान के आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि सूचक के बेटा कमाल मियां J.C.B. Reg. no. JH22B-5234 से ग्राम रूझोनियां से हड़बड़बा नदी तक रोड निर्माण हेतु मिट्टी भराई का काम कर रहे थे। दिनांक 10.05.14 को लगभग 2.00 बजे दिन में अचानक 20–25 की संख्या में हथियार से लेस होकर पुलिए वर्दी में नक्सली लाल सलाम का नारा लगाते हुए आया और मिट्टी भराई का कार्य रोक दिया तथा लेवी नही देने की बात कहकर चालक कलाम मियां को J.C.B. से उतार दिया तथा उसका सैमसंग का मोबाईल छिन लिया तथा पेट्रोल छिड़कर J.C.B. में आग लगा दिया जिससे J.C.B. का केबिन जल गया। उसके पश्चात् नक्सली लोग रोड कार्य बंद करने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए जंगल की ओर चले गये। चालक कमाल मियां ने धटना की जानकारी अपने सूचक को दी।

उपरोक्त कांड का अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 165/2016 दाखिल किया गया जिसपर अपराध का संज्ञान लेते हुए, वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभियुक्त 1. राजु यादव का वाद हस्तांतरण के उपरांत दिनांक 20.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 25.04.2019 को उक्त अभियुक्त गण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 121A, 427, 379, 384 I.P.C. & 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 UAP Act के

अंतर्गत आरोप का गठन किया गया। आरोप को अभियुक्त गण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त गण के द्वारा आरोप से इंकार किया गया एवं वाद विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् अभिलेख साक्ष्य पर नियत किया गया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अभि0 के विरूद्ध लगाए गए आरोपो को साबित करने के लिए इस कांड के एक भी साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्षियों के उप0 हेतु न्यायालय के द्वारा सारी प्रक्रियाए को अपनाया गया परंतु अभियोजन पक्ष इस वाद के साक्षियों को प्रस्तुत करने में विफल रहे। अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर लगभग सात साल से ज्यादा देने के उपरांत दिनांक 06.06.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया। इस कांड के अनुसंधानकर्ता का परीक्षण नही कराए जाने के कारण अभियोजन वाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा इस कांड के अभियुक्त के विस्द्ध इस कांड में संलिप्तता के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया गया था।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मंतव्य है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए आरोपो को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि कथित घटना उक्त अभियुक्त के द्वारा कारित की गई थी। अपितु अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा UAP Act के अंतर्गत विचारण हेतु आवश्यक sanction order भी दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त गण को द्र. प्र.स. की धारा 232 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव उक्त अभियुक्त को धारा 147, 148, 149, 121A, 427, 379, 384 I.P.C. & 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 UAP Act से दोषमुक्त किया जाता है तथा बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

DASJ II

Web Copy